रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

Central Secretariat Library
15 10/73

सं० 249] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 27, 1973/कार्तिक 5, 1895

No. 249] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 27, 1973/KARTIKA 5, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 27th October 1973

SUBJECT :—*Import Policy for Registered Exporters for the year April, 1973—March 1974 (Amendment No. 47).*

No. 175 ITC(PN)/73.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters contained in Volume II of the Import Trade Control Policy Book for the year April 1973—March 1974, issued under the Ministry of Commerce Public Notice No 46-ITC (PN)/73, dated the 2nd April, 1973 as amended from time to time.

2 The following amendments may be made at the appropriate places as indicated below :—

Page No. of the Red Book Vol. II	Reference	Amendments
77	A. 91. 2	In place of the existing entry A. 91. 2, the following may be substituted :—

1	2	3	4
A. 91·2	(i) Electronic components, microwave components and electronic devices, radio receivers (valve and transistorised), radiograms, and sub-assemblies, equipments, electronic, piece parts and all other items not otherwise specified.	30 %	(a) All items as in normal actual users licence issued by the licensing authorities since 1st April, 1971. NOTE :—Face value restriction on individual items in Appendices 38 and 43 of Vol. I will not apply where the total value of the licence does not exceed Rs. 10,000/-. (b) Miscellaneous items like hardware, decoration fittings materials, trims, panel meters, valve holders, switches, knobs, grill and grill cloth, dial cords, jewel assemblies timing indicators, relays connecting wires (15%). (c) All electronic components, piece parts sub-assemblies etc. to be actually used for the exported product even if these are not otherwise permitted for import to actual users (15 %) (d) Moulding powders ; chemicals for chrome plating on ABS solder covering lacquer ; Photo engraving emulsion paints, special resins, chemicals and acid resistant paint for screen printing ; film for silk screen ; special lubricant grease for electrical contacts ; foil for hot printing on plastics ; Acrylic sheets; Cellulose acetate butyrate foil, high purity aluminm sheets strips for anodizing silver plated bronze wire ; and silver plated brass wire (10%). (e) Casettes and stereo records for testing of tape recorders and radiograms, and adhesives, paint and varnishes (10% subject to a maximum of Rs. 2,000/-per, quarterly application). (f) Samples of radios, car radios, amplifires, radiograms, ampligrams, loud-speaker system, amplifying system, driver units reflex horns tape recorders, hearing aids, microphones and combination of any of these items (10 %) subject to a maximum of Rs. 2,000/- per quarterly applicetion. Of each item only a maximum of 4 pieces will be allowed.

1	2	3	4
			NOTE : I. Items in Col. 4 against Sr. Nos. (a) to (f) above will be permitted irrespective of the fact as to which of the items in Col. 2 have actually been exported, provided AU licences are possessed for the manufacture of that item. II. In addition to replenishment licence issued against exports made after 1-4-73, the items in Col. 4 against Sr. Nos. (a) to (f) above will be permitted to the holders of Replenishment licences issued against export of items given in Col. 2 in terms of an earlier periods Policy also, provided the replenishment licences in question are still valid. This facility will also be applicable to partly utilised valid licences.
(li) Public address equipment, amplifiers (valve and Transistorised), car radios, Tape recorders, Microphones and hearing aids.	30%	(a) All items as in normal actual users' licence issued by the licensing authorities since 1st April, 1971. NOTE : Face value restrictions on individual items in Appendice 38 and 43 of Vol. I will not apply upto the extent of 50% face value of the replenishment licence or Rs. 10,000/- whichever is more. (b) Miscellaneous items like hardware, decoration fittings materials, trims, panel grill and grill cloth, dial cords, jewel asssemblies, timing indicators, relays, dial plates/materials, connecting wires, stereo cartridges (25%). (c) All electronic components, piece parts, sub-assemblies etc. to be used for the exported product even if these are not otherwise permitted for import to AUs (50%). (d) Moulding powders, chemicals for chrome plating on ASB : solders covering lacquer ; photo engraving emulsion paint, special resins, chemicals and acid resistant paint for screen printing ; film for silk screen ; special lubricant grease for electrical contacts ; foil for hot printing on plastics; Acrylic sheets ; Cellulose acetate butyrate foil, high purity aluminium sheets/strips for anodizing ; silver plate bronze wire ; and silver plated brass wire (10%).

1	2	3	4
			(c) Casettes and stereo records for testing of tape recorders and radiograms ; and adhesives, paint and varnishes (10% subject to a maximum of Rs. 2,000/- per quarterly application).
			(f) Samples of radios, car radios, amplifires, radiograms, ampligrams, loudspeaker system, amplifying system driver units reflex horns, tape recorders, hearing aids, microphones, boosters antenna, electronic calculators, intercom and combination of any of these items (10%) subject to a maximum of Rs. 2,000/-per quarterly application. Of each item only a maximum of 4 peices will be allowed.
			(g) Miniature microphones and parts thereof/loudspeakers above 8" (only Woofers) and parts thereof (25%).
			NOTE I. tems in Col. 4 against Sr. No. (a) to (g) above will be permitted irrespective of the fact as to which of the items in Col. 2 have actually been exported, provided AU licences are possessed for the manufacture of that item.
			II. In addition to replenishment licences issued against exports made after 1-4-73, the items in Col. 4 against Sr. Nos. (a) to (f) above will be permitted to the holders of replenishment licences issued against export of items given in Col. 2 in terms of an earlier periods policy also, provided the replenishment licences in question are still valid. This facility will also be applicable to partly utilised valid licences.

(S. G. BOSE MULLICK,
Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर 1973

विषय :—अप्रैल 1973–मार्च 1974 वर्ष के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति ।

सं० : 175 आई०टी०सी० (पी०एन०)/73.—समय-समय पर यथा संशोधित वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 46–आई०टी०सी० (पी०एन०)/73, दिनांक 2 अप्रैल, 1973 के अंतर्गत अप्रैल 1973–मार्च 1974 वर्ष के लिए जारी की गई आयात व्यापार नियंत्रण नीति के पैरा 2 में पंजीकृत निर्यातकों के लिए निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2 निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्टानुसार उचित स्थानों पर किए जाएं :—

रैड बुक वा० 2 की पृष्ठ सं०	संदर्भ	संशोधन
77	ए० 91.2	वर्तमान प्रविष्टि ए० 91.2 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए :—

1	2	3	4
ए० 91.2	(1) इलेक्ट्रानिक संघटक, माइक्रोवेव संघटक तथा इलेक्ट्रानिक डिवाइसेज, रेडियो रिसिवर (वाल्व तथा ट्रांजिस्टराइज्ड), रेडियो ग्राम, तथा उप संयोजन, उपस्कर, इलेक्ट्रानिक, पीस पार्ट तथा अन्य सभी मदें जो अन्यथा विशिष्टिकृत नहीं हैं।	30%	1 अप्रैल 1971 से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए सामान्य वास्तविक उपयोक्ता लाइसेंस में जैसा है, वे सभी मदें ।

टिप्पणी :— जहां पर लाइसेंस का कुल मूल्य 10,000 रुपये से अधिक नहीं होता है तो वां० 1 के परिशिष्ट 38 और 43 की अलग-अलग मदों पर अंकित मूल्य प्रतिबंधता लागू नहीं होगी ।

(ख) विविध मदे जैसे—हार्डवेयर, सजावटी फिटिंग्स/सामग्री, ट्रीम, पेनेल मीटर, वाल्व होल्डर्स, स्वीच, नाब्स, ग्रिल तथा ग्रिल क्लाथ, डायल कोर्ड, आभूषण संयोजन समय संकेतक, रिले वातानुकूलक तार (15%)

(ग) सभी इलेक्ट्रानिक संघटक, पीस पार्ट उप संयोजन आदि का वास्तविक रूप में निर्यातित उत्पाद के लिए उपयोग किया जाना है यहां तक कि ये वास्तविक उपयोक्ताओं को आयात करने के लिए अन्यथा अनुमति नहीं है (15%)।

1	2	3	4
			(घ) मोल्डिंग पाउडर, ए.बी.ओ.एस सोल्डर कवरिंग लैक्यूर पर क्रोम प्लेटिंग के लिए रसायन, तस्वीर उत्कीर्ण एमल्सन पेंट, विशेष रेजिन्स, स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए रसायन तथा एसिड अवरोधक पेंट 4 सिल्क स्क्रीन के लिए फिल्म, विद्युतीय सम्पर्कों के लिए विशेष स्नेहक ग्रीस, प्लास्टिकों पर हाट प्रिंटिंग के लिए फायल, एनोडाइजिंग सिलवर प्लेटेड ब्रोज वायर के लिए एक्राइलिक शीट, सेलूलोज एसिटेट ब्युटिरेट फायल, उच्च शुद्धता की एल्युमीनियम शीट स्ट्रिप, तथा सिलवर प्लेटेड ब्रास वायर (10%)
			(ङ) टेपरिकार्डस तथा रेडियोग्राम की जांच करने के लिए केसेट्स तथा स्टेरियो रिकार्डस, तथा आसंजक, पेंट एवं वार्निश (प्रति-त्रैमासिक आवेदन-पत्र के लिए 10 प्रतिशत अधिकतम 2,000 रुपये के अधीन)।
			(च) रेडियो, कार रेडियो, संवर्धर, रेडियोग्राम, एम्पलीग्राम, लाउड-स्पीकर सिस्टम, एम्प्ली-फाइंग सिस्टम, ड्राइवर यूनिट रिफ्लेक्स हार्नस टेपरिकार्डस,' हियरिंग ऐड, माइक्रोफोन के नमूने तथा इन मदों के कम्बि-नेशन (10%) प्रत्येक मद के प्रति त्रैमासिक आवेदन पत्र के लिए अधिकतम 2,000 रुपये के अधीन हैं और अधिक से अधिक केवल चार पीस की ही अनुमति दी जाएगी।

1	2	3	4
			टिप्पणी :—(1) उपर्युक्त (च) के लिए क्रम संख्या (क) के सामने के कालम 4 की मदों की अनुमति इस बात का ध्यान दिए बिना दी जाएगी कि कालम 2 की मदों का निर्यात किया गया है कि नहीं बशर्ते कि वास्तविक उपयोक्ता लाइसेंस उस मद के विनिर्माण के लिए धारण किए गए हैं । (2) 1-4-73 के बाद किए गए निर्यातों के मद्दे जारी किए गए प्रतिपूर्ति लाइसेंसों के अतिरिक्त, उपर्युक्त क्रम संख्या (क) से (च) के सामने के कालम 4 की मदों की अनुमति पूर्व अवधियों की नीति की शर्तों के अनुसार कालम 2 में दी गई मदों के निर्यात मद्दे जारी किए गए प्रतिपूर्ति लाइसेंस धारकों को भी दी जाएगी बशर्ते कि विषयाधीन लाइसेंस अभी भी वैध हैं । यह सुविधा उस पार्टी के लिए भी लागू होगी जिसने वैध लाइसेंस का आंशिक उपयोग कर लिया है ।
(2) लोक पतालेखी उपकरण प्रवर्धक (बाल्व और ट्रान्जिस-ट्राइज्ड) कार, रेडियों, टेप रिकार्डस, ध्वनिवर्धक तथा श्रवण सहाय ।	30 प्रतिशत	(क) 1 अप्रैल, 1971 से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए सामान्य वास्तविक उपयोक्ता लाइसेंस में जैसा है वे सभी मदें । टिप्पणी : वा० 1 के परिशिष्ट 38 तथा 43 में दिखाई गई अलग अलग मदों पर अंकित मूल्य प्रतिबंधता, प्रतिपूर्ति लाइसेंस के अंकित मूल्य के 50 प्रतिशत या 10,000 रु० इन में जो भी अधिक हो, तक लागू नहीं होगी ।	

1	2	3	4
			(ख) विविध मदें, जैसे, लोहे के सामान, सजावटी फिटिंग्स/सामान, अलंकरण, पेनल ग्रिल तथा ग्रिल क्लाथ, डायल कार्ड्स रत्न सज्जीकरण, सक्षय संकेतक, रिलें, डायल प्लेट्स/सामान, संयोजक तारें, स्टेरिओ कार्ट्रिजेस (50 प्रतिशत)
			(ग) निर्यातित उत्पाद के लिए प्रयोग में आने वाले सभी इलैक्ट्रानिक संघटक, पीस पार्टस, उप-सज्जीकरण आदि चाहे ये वास्तविक उपयोक्ताओं के आयात के लिए अनुमत नहीं भी हों। (50 प्रतिशत)
			(घ) मोल्डिंग पाउडर, ए०एस०बी० सोल्डर कवरिंग लेकर के आधार पर क्रोय के लिए रसायन, फोटो अंकित करने वाले पायस पेंट, विशिष्ट रेजिन्स, स्क्रीन प्रिन्टिगं के लिए रसायन तथा एसिड प्रतिरोधक पेन्ट, सिल्क स्क्रीन के लिए फिल्म, विद्युत संयोग के लिए विशिष्ट लुब्रिकेन्ट ग्रीज, प्लास्टिक पर हाट प्रिटिंग के लिए फायल, एक्रिलिक शीट्स, सैलूलोज एसीटेट ब्यूटिरेट फायल, एनोडाइजिंग के लिए उच्च शुद्धता वाले एल्युमिनियम शीट्स/स्ट्रिप्स, सिल्वर प्लेटिड फांसे के तार ; तथा सिल्वर प्लेटिड पीतल के तार (10 प्रतिशत).
			(ङ) टेप रिकार्डर्स और रेडिओग्राम्स की जांच के लिए कसैट्स तथा स्टेरिओ रिकार्डर्स और आसंजक, पेंट तथा वार्निश (एक त्रैमासिक आवेदन पत्र के लिए 10 प्रतिशत और अधिक से अधिक 2000 रु० के अधीन);

1	2	3	4
			(च) रेडियो के सेम्पल्स, कार रेडियो सज्जीकरण, रेडियोग्राम्स एम्प्लिग्राम्स, लाउडस्पीकर विधि, सज्जीकरण की विधि, ड्रा; बर यूनिट, रिफ्लैक्स हार्नस, टेप रिकार्डर्स अपरूपक सहाय, माइक्रो-फोम्स, वर्धक एनटेन्ना, विद्युत संगणक इन मदों में से इन्टरकाम और कम्बीनेशन (10 प्रतिशत) अधिक से अधिक 2000 रु० के अधीन—एक त्रैमासिक आवेदन पत्र के लिए। प्रत्येक मद के अधिक से अधिक 4 नगों के लिए स्वीकृति दी जाएगी।
			(छ) छोटे माइक्रोफोन्स और उन के पुर्जे 8" से अधिक के लाउड्-स्पीकर (केवल वूर्कर्स) तथा उनके पुर्जे (25 प्रतिशत)।
			टिप्पणी :— उपर्युक्त कालम 4 में क्रम सं० (क) से (छ) के सामने वाली मदों के लिए इस बात पर ध्यान दिए बिना ही कि कालम 2 में किन मदों का वास्तव में निर्यात किया है अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि वास्तविक उपयोक्ता लाइसेंस उस मद के निर्माण के लिए प्राप्त किए जाते हैं।
			(2) 1-4-73 के बाद किए गए निर्यातों के मद्दे जारी किए गए प्रतिपूर्ति लाइसेंसों के अतिरिक्त, पूर्व, अवधियों की नीति के अनुसार कालम 2 में दी गई मदों के निर्यात के मद्दे जारी किए गए आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंसो के धारकों को उपर्युक्त कालम 4 में क्रम

1	2	3	4
			सं० (क) से (च) के सामने वाली मदों के लिए भी अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि विषयाधीन प्रतिपूर्ति लाइसेंस अभी भी वैध है। यह सुविधा अंशत : प्रयुक्त वैध लाइसेंसों के लिए भी लागू होगी।

एस० जी० बोस मल्लिक,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1978